

होटल एवं रेस्टोरेंट उद्योग में नियोजित श्रमिकों को देय विशेष भत्ता

होटल एवं रेस्टोरेंट उद्योग में नियोजित कर्मचारियों को रा0सं0 513/36-1-2016-1075 (एस0टी0)/85, दिनांक 18.04.2016 के प्राविधानानुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 239 अंकों के ऊपर जुलाई, 2022 से सितम्बर, 2022 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत अंक 379 (तीन सौ उन्चासी) पर दिनांक 01.04.2023 से 10.09.2023 तक निम्नलिखित दृष्टांत की भांति उनकी मूल मजदूरी को शत प्रतिशत निष्प्रभावी करके परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता देय है।

दृष्टांत -रु0 6350/- प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक: 01.04.2023 से दिनांक 30.09.2023 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नवत् है :-

$$\frac{(379-239) \times 6350}{239} = 3719.66 \text{ रु0 प्रतिमाह}$$

विभिन्न मासिक मजदूरियों पर देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता प्रतिमाह निम्नवत् है :-

होटल और रेस्टोरेंट के वर्ग	श्रेणी	मूलवेतन	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता	कुल योग प्रतिमाह	दैनिक मजदूरी
सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्लों) के ढाबा, होटल और रेस्टोरेंट एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले व अन्य प्रतिष्ठान चाहें उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये तथा जिनमें 10 से कम कर्मकार नियोजित हैं	अकुशल	6350	3719.66	10070.00	387.00
	अर्द्धकुशल	7000	4100.41	11100.00	427.00
	कुशल	7840	4592.46	12432.00	478.00
सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्लों) के ढाबा, होटल और रेस्टोरेंट एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले व अन्य प्रतिष्ठान चाहें उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये तथा जिनमें 10 से अधिक कर्मकार नियोजित हैं	अकुशल	6730	3942.25	10672.00	410.00
	अर्द्धकुशल	7420	4346.44	11766.00	453.00
	कुशल	8310	4867.78	13178.00	507.00
	अति कुशल	8975	5257.32	14232.00	547.00
स्टार होटल एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले अन्य प्रतिष्ठान चाहें उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये	अकुशल	7540	4416.73	11957.00	460.00
	अर्द्धकुशल	8980	5260.25	14240.00	548.00
	कुशल	10640	6232.63	16873.00	649.00
	अति कुशल	12565	7360.25	19925.00	766.00

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।

पत्र संख्या: 42-46 / आई0आर0-2023

दिनांक 05-04-2023

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ को अवगत कराएं तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
2. उप श्रमायुक्त, प्रवर्तन, मुख्यालय।
3. पुस्तकालय प्रभाग, मुख्यालय, कानपुर।
4. ✓ प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- उप श्रम आयुक्त, नजारत को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

6
05.4.2023

(अजय कुमार मिश्रा)

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।